

मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 31/08/2018

क्रमांक एफ 2-24/2018/1/55 :: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.04.2018 द्वारा शासकीय चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को विदेश यात्रा की अनुमति देने के लिये अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं।

2/- राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन समस्त शासकीय चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर/नर्सिंग महाविद्यालय, इंदौर तथा मानसिक आरोग्य शाला, ग्वालियर में कार्यरत आधिकारी/कर्मचारियों जो चिकित्सा शिक्षकों से भिन्न हैं, के संबंध में भी उपरोक्त आदेश लागू करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शर्मिला ठाकुर)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 31/08/2018

पृ. क्रमांक एफ 2-24/2018/1/55
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, भोपाल/ग्वालियर।
 2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल।
 3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल।
 4. संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश एवं अध्यक्ष स्वशासी समिति चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल-भोपाल, जबलपुर-जबलपुर, इन्दौर-इन्दौर, ग्वालियर-ग्वालियर, सागर-सागर, रीवा-रीवा, दतिया-ग्वालियर संभाग, विदिशा-भोपाल संभाग, खण्डवा-इन्दौर संभाग, शहडोल-शहडोल संभाग, छिन्दवाडा-जबलपुर संभाग, शिवपुरी-ग्वालियर संभाग, मध्य प्रदेश।
 5. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर/सागर/रीवा/दतिया/विदिशा/खण्डवा/रतलाम/शहडोल/छिन्दवाडा/शिवपुरी मध्य प्रदेश
 6. प्राचार्य, दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर/संचालक, मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर/ प्राचार्य, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इंदौर।
 7. वेब मैनेजर, विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
 8. स्टाक पंजी
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

31/8/18
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

संचालक मंत्रालय चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश
क्रमांक 3873
दिनांक 11.9.18
DME 21/1

04.09.18